

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.  
 (आप.प्रक.क. : — 222 / 2014)  
 (संस्थित दिनांक :- 24 / 03 / 14)

म.प्र.राज्य,  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा।  
 जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. गुरमीत सरदार पुत्र प्रताप सिंह सरदार उम्र 24 वर्ष  
 निवासी :- ग्राम गढ़ी (बेलखेड़ा), थाना :- पिछोर, जिला—ग्वालियर (म.प्र.)।  
 ..... अभियुक्त।

// निर्णय //

( आज दिनांक :- 02 / 05 / 2016 को घोषित )

01. आरोपी गुरमीत पर धारा :- 279, 337 “06 काउण्ट” एवं 304 ए भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 07 / 12 / 2013 को रात्रि लगभग 12:30 बजे दिलीप सिंह के पुरा के सामने लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/जी/7138 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी राजेश नागर की स्कार्पियों क्रमांक एच.आर.37/ए./6621 को टक्कर मारकर राजेश नागर, भूरा उर्फ सुरेश, विजय नागर, गुड्डा उर्फ बलवीर, भानू नागर, रामवीर नागर को उपहति एवं मृतक रघुवीर नागर को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 07 / 12 / 2013 को रात्रि लगभग 12:30 बजे दिलीप सिंह के पुरा के सामने लोकमार्ग पर, वाहन ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/जी/7138 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर स्कार्पियों क्रमांक एच.आर.37/ए./6621 में टक्कर उसमें सवार राजेश नागर, भूरा उर्फ सुरेश, विजय नागर, गुड्डा उर्फ बलवीर, भानू नागर, रामवीर नागर को उपहति एवं मृतक रघुवीर नागर की मृत्यु कारित करने की देहाती नालसी फरियादी राजेश नागर द्वारा लेखबद्ध कराये जाने पर, आरोपी वाहन ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/जी/7138 के चालक के विरुद्ध जीरो पर कायमी की गई। उक्त देहाती नालसी

के आधार पर वाहन ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/जी/7138 के चालक के विरुद्ध थाना गोहद चौराहा में अपराध क्रमांक 281/2013 अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। दिनांक : 07/12/2013 को घटनास्थल से वाहन ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/जी/7138 जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। दिनांक : 09/12/2013 को आरोपी गुरमीत को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। दिनांक : 09/12/2013 को आरोपी से जब्तशुदा वाहन ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/जी/7138 के दस्तावेज जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी भीकम सिंह का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी राजेश नागर, आहतगण/साक्षीगण भूरा उर्फ सुरेश, विजय नागर, गुड्डा उर्फ बलवीर, भानू, सल्लू उर्फ रामवीर नागर के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त गुरमीत के विरुद्ध धारा 279, 337 "06 काउण्ट" एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी गुरमीत ने दिनांक : 07/12/2013 को रात्रि लगभग 12:30 बजे दिलीप सिंह के पुरा के सामने लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/जी/7138 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी राजेश नागर की स्कार्पियों क्रमांक एच.आर.37/ए./6621 को टक्कर मारकर राजेश नागर, भूरा उर्फ सुरेश, विजय नागर, गुड्डा उर्फ बलवीर, भानू नागर, रामवीर नागर को उपहति कारित की?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक रघुवीर नागर को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

04. अंतिम निष्कर्ष?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 लगायत 03**

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी राजेश अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 06/12/2013 की रात्रि लगभग साढ़े बारह बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उस दिन उसके अपने लड़के साजन की शादी थी, वह उसकी बारात लेकर अम्बाह से लखना गांव गये थे। लखना से वह लोग स्कार्पियों गाड़ी से लौटकर आ रहे थे, उसकी गाड़ी में वह, गुड्डा उर्फ दलवीर, भूरा, विजय, सूरज एवं चालक सल्लू बैठे थे, तभी उसकी स्कार्पियों दिलीप पुरा के पास पहुँची तो एक ट्रक क्रमांक एम.पी.07/जी/7128 ने उसकी गाड़ी में आकर टक्कर मार दी। साक्षी आगे कहता है कि ट्रक कैसे चल रहा था, वह नहीं बता सकता। टक्कर लगने से उसके भाई रघुवीर नागर की मृत्यु हो गई थी एवं भानू, भूरा, विजय एवं गुड्डा के चोटें आई थी। इस संबंध में उसके द्वारा थाना गोहद चौराहा में लिखाई गई देहाती नासली प्र.पी.14 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.15 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मृत्यु जांच में उपस्थित होने वाले आवेदन प्र.पी.16 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। पुलिस ने नक्शा लाश पंचायतनामा प्र.पी.17 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। शव सुपुर्दगीनामा प्र.पी.18 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी राजेश अ.सा.06 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि लखना में उसके भाई के एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी, जिसे देखने के लिए वह सभी लोग अपनी स्कार्पियों गाड़ी क्रमांक एच.आर.37/ए. /6621 में बैठकर ग्वालियर देखने आ रहे थे, तभी दिलीप सिंह के पुरा पर ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/जी/7128 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही उतावलेपन से चलाकर पीछे से उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी थी। साक्षी आगे कहता है कि वह आरोपी को सामने आने पर पहचान नहीं सकता, क्योंकि वह आरोपी को देख नहीं पाया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में राजेश अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन कितनी तेजी से चल रहा था, उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक को दुर्घटनाकारित करते हुए नहीं देखा। इस प्रकार फरियादी राजेश अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपित दुर्घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी गुरमीत की पहचान संबंधी एवं उसके द्वारा ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/जी/7128 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाये जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं।

09. आहत गुड्डा उर्फ बलवीर अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 16/12/2013 की रात्रि लगभग साढ़े बारह-एक बजे की है। उस समय वह अन्य व्यक्तियों के साथ स्कार्पियों से लखना से ग्वालियर जा रहा था और जैसे ही

वह लोग मेहगांव के आगे बिरखड़ी के पास अंगदपुरा पहुँचे तो पीछे से किसी वाहन ने उनकी स्कार्पियों में टक्कर मार दी थी। वह बेहोश हो जाने के कारण दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन एवं उसे चलाने वाले चालक को घटना के समय नहीं देखा था। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर एवं चालक का नाम देखा था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी गुड्डा उर्फ बलवीर अ.सा.02 ने अभियोजन कथा के अनुसार पूछे गये अभियोजन अधिकारी के सूचक प्रश्नों को स्वीकार किया है, परन्तु प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में उसका कहना है कि वह टक्कर लगने से बेहोश हो गया था और रात्रि होने के कारण घटनाकारित करने वाले चालक एवं वाहन को नहीं देख पाया था। इस प्रकार साक्षी गुड्डा उर्फ बलवीर अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपित दुर्घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी गुरमीत की पहचान संबंधी एवं उसके द्वारा ट्रैला क्रमांक एम.पी.07/जी/7128 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाये जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं।

10. आहत भूरा अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 04/04/2016 से दो-तीन वर्ष पूर्व की होकर रात के लगभग बारह-साढ़े बारह बजे की है। उस समय जिस स्कार्पियों में वह सवार था, उसका ट्रैला से एक्सीडेंट हो गया था। चूँकि वह सो रहा था, इसलिए उसे यह जानकारी नहीं है कि टक्कर आगे से लगी थी, अथवा पीछे से। साक्षी आगे कहता है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन एवं उसके चालक को नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आहत भूरा अ.सा.03 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

11. आहत रामवीर अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 25/01/2017 से लगभग तीन वर्ष पहले की है, तब वह अन्य व्यक्तियों के साथ स्कार्पियों में ग्वालियर जा रहा था, तभी दिलीप सिंह के पुरा के पास एक ट्रक ने उनकी स्कार्पियों में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटें आईं और रघुवीर नागर की मृत्यु हो गई। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आहत रामवीर अ.सा.07 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

12. आहत भानू अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 06/12/2013 को अम्बाह से लखना गया था। उसके बाद वह स्कार्पियों से अन्य रिश्तेदारों के साथ ग्वालियर जा रहा था। रात्रि बारह-साढ़े बारह बजे उसकी नींद लग गई और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। चोट लगने से वह बेहोश हो गया, उसे ग्वालियर जाने पर होश आया। साक्षी आगे कहता है कि बेहोश हो जाने के कारण वह दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर, वाहन चालक को एवं उक्त वाहन कैसे चल रहा था, यह नहीं देख पाया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आहत भानू अ.सा.08 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

13. आहत विजय अ.सा.09 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 06/12/2013 को अम्बाह से लखना गया था। उसके बाद वह स्कार्पियों से अन्य

रिश्तेदारों के साथ ग्वालियर जा रहा था। रात्रि बारह-साढ़े बारह बजे उसकी नींद लग गई और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। चोट लगने से वह बेहोश हो गया, उसे ग्वालियर जाने पर होश आया। साक्षी आगे कहता है कि बेहोश हो जाने के कारण वह दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर, वाहन चालक को एवं उक्त वाहन कैसे चल रहा था, यह नहीं देख पाया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आहत विजय अ.सा.09 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

14. अभियोजन साक्षी भीकम सिंह अ.सा.10 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/जी/7128 का पंजीकृत स्वामी है। साक्षी आगे कहता है कि वह यह नहीं बता सकता कि दिनांक : 07/12/2013 को उसका उक्त ट्रौला कौन चालक चला रहा था, क्योंकि उसके उक्त ट्रौला की संचालन संबंधी समस्त कार्यवाही उसका मैनेजर श्याम शर्मा करता है। साक्षी को प्रमाणीकरण प्र.पी.22 का दस्तावेज दिखाने पर साक्षी ने उक्त दस्तावेज के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना व्यक्त किया। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी भीकम सिंह अ.सा.10 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक : 07/12/2013 को उसका ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/जी/7128 को आरोपी गुरमीत पुत्र प्रताप सिंह चला रहा था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे दिनांक : 07/12/2013 को उक्त ट्रौला को उपेक्षापूर्वक चलाकर दुर्घटनाकारित की थी एवं इस वावत् उसके द्वारा दिया गया प्रमाणीकरण प्र.पी.22 है। साक्षी ने स्वतः व्यक्त किया कि पुलिस ने उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे, जब वह न्यायालय के आदेश पर अपना उक्त ट्रौला छुड़ाने थाने गया था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आज आरोपी को बचाने के लिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में भीकम अ.सा.10 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके ट्रौला पर कार्यरत चालकों की जानकारी मैनेजर श्याम शर्मा को रहती है। उसने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि आरोपी गुरमीत को आज न्यायालय में पहली बार देख रहा है। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि आरोपी गुरमीत दिनांक : 07/12/2013 को उसका ट्रौला नहीं चला रहा था। इस प्रकार भीकम अ.सा.10 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जो आरोपित घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी गुरमीत की पहचान को दर्शित अथवा स्थापित करते हों।

15. डॉ.अवनीश शर्मा अ.सा.01 एवं डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.05 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल मृतक एवं आहतगण को कारित चोटों के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी चिकित्सीय अभिमत संबंधी साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी गुरमीत ने दिनांक :- 07/12/2013 को रात्रि लगभग 12:30 बजे दिलीप सिंह के पुरा के सामने लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन ट्रैला क्रमांक एम.पी.07/जी/7138 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी राजेश नागर की स्कार्पियों क्रमांक एच. आर.37/ए/6621 को टक्कर मारकर राजेश नागर, भूरा उर्फ सुरेश, विजय नागर, गुड्डा उर्फ बलवीर, भानू नागर, रामवीर नागर को उपहति एवं मृतक रघुवीर नागर को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

### अंतिम निष्कर्ष

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी गुरमीत के विरुद्ध धारा 279, 337 "06 काउण्ट" एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी को धारा 279, 337 "06 काउण्ट" एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

19. प्रकरण में जब्तशुदा ट्रैला क्रमांक एम.पी.07/जी/7138 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी भीकम सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद